File No.2/1/3/0001/2018-Sec-5-07(REV)

मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग

क्रमांक - 1/1207/2018 दिनांक - 11 मई, 2018

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,मध्य प्रदेश
2. समस्त संभागीय आयुक्त,मध्य प्रदेश
3. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश

विषय:-शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय,भोपाल से कराये जाने वाले मुद्रण कार्य की राशि के भुगतान के संबंध में ।

विषयांतर्गत शासन के समस्त विभागों एवं कार्यालयों व्दारा कार्य आवंटन नियम एवं मुद्रण और जिल्दसाजी नियम के अधीन समस्त शासकीय मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालयों से कराये जाते हैं ।

2. उपर्युक्त किये जाने वाले शासकीय मुद्रण कार्य पर होने वाले व्यय का भुगतान संबंधित विभागों तथा कार्यालयों व्दारा शासकीय मुद्रणालय को किया जाता हैं । किन्तु यह देखने में आया है कि विभागों तथा कार्यालयों व्दारा मुद्रण कार्य करा लेने के पश्चात कतिपय कारणों से उसका भुगतान समयावधि में नहीं किया जा रहा है, जिससे मुद्रणालयों मे वर्ष 1976 से अनेक विभागों तथा कार्यालयों से भुगतान की राशि वसूली हेतु लंबित है । महालेखाकार कार्यालय व्दारा किये जाने वाले अंकेक्षण में भी निरंतर इस संबंध में आपत्ति ली जा रही है ।

3. उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि समस्त विभागो तथा कार्यालयों व्दारा मुद्रण का आदेश शासकीय मुद्रणालय को देने के पश्चात, शासकीय मुद्रणालय व्दारा मुद्रण की कुल अनुमानित व्यय की 50 प्रतिशत राशि संबंधित विभाग तथा कार्यालय व्दारा अग्रिम के रूप में जमा की जाकर उसकी छायाप्रति मुद्रण आदेश के साथ संलग्न कर शासकीय मुद्रणालय को उपलब्ध कराई जावेगी । इसके उपरांत ही मुद्रण आदेश के अनुसार मुद्रण कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

4. यह प्रक्रिया तत्काल प्रभावशील होगी तथा उपर्युक्त प्रक्रिया पर वित्त विभाग की टीप यू.ओ.क्रमांक 299/352/ब-5/18 दिनांक 25/4/2018 से सहमति प्रदान की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11/5/18
(आर. एस. वर्मा)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,राजस्व विभाग

पृष्ठांकन
प्रतिलिपि:-

नियंत्रक,शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

sd/-
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,राजस्व विभाग